The Bihar Private Professional Educational Institutions

(Regulation of Admission and Determination of Fees) Act, 2026

Act No. 10 of 2026

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 चैत्र 1948 (श0)

(सं0 पटना 307) पटना, वृहस्पतिवार, 2 अप्रील 2026

विधि विभाग

अधिसूचना

2 अप्रील 2026

सं० एल०जी०–01–12/2026–2675/लेज।——बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 02 अप्रैल, 2026 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बासनो शंकर मेहरो़त्रा,
सरकार के विशेष सचिव–सह–प्रभारी सचिव।

[बिहार अधिनियम 10, 2026]

बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण) अधिनियम**, 2026**

नामांकन के विनियमन एवं शुल्क के निर्धारण तथा उससे संबंधित या अनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

प्रस्तावनाः— माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में चिकित्सा एवं तकनीकी शिक्षा के लिए तदर्थ आधार पर नामांकन पर्यवेक्षण समिति एवं शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति का गठन पूर्व में ही किया गया है;

और जबकि, राज्य के निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा लिये जाने वाले नामांकन एवं शिक्षण शुल्क निर्धारण के लिए एक कानून बनाना आवश्यक है ताकि ऐसे शुल्क उचित, शोषण रहित और पारदर्शी हो, साथ ही शैक्षणिक संस्थानों की वित्तीय स्थिरता और स्वायत्तता की भी रक्षा हो;

और जबकि, इस्लामिक शिक्षा अकादमी एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य (2003) 6 एससीसी 697 और पी.ए. इनामदार एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य (2005) 6 एससीसी 537, तथा अन्य सुसंगत न्यायिक निर्णयों में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता को कायम रखते हुए वहन क्षमता, पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित करना है;

और जबकि, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में शुल्क को विनियमित करने के लिए वैधानिक ढाँचे को निरूपित किया गया है। राज्य में निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली शुल्क को विनियमित करना अनिवार्य है, ताकि शिक्षा की मुनाफाखोरी और व्यावसायीकरण को रोका जा सके, साथ ही निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके, ताकि छात्रों और अभिभावक के हितों की रक्षा की जा सके, यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसा शुल्क उचित, शोषणरहित और पारदर्शी हो,

साथ ही निजी शैक्षणिक संस्थाओं की वित्तीय स्थिरता और स्वायत्तता भी सुनिश्चित की जा सके,

यह प्रस्तावना माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नामांकन एवं शुल्क के विनियमन के संदर्भ में अधिकथित प्रमुख सिद्धांतों को इस तरह प्रतिबिंबित करती है, जिससे छात्रों और शैक्षणिक संस्थाओं के अधिकारों में संतुलन बना रहे;

अतः अब भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित होः

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ।—

(क) इस अधिनियम को "बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण) अधिनियम, 2026" कहा जायेगा।

(ख) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(ग) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएँ।—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः—

(क) **"शैक्षणिक प्रक्षेत्र"** से अभिप्रेत है कि एक व्यापक शैक्षणिक क्षेत्र जिसके अन्तर्गत महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा प्रदान की जाती है तथा शोध कार्य किया जाता है। उदाहरणस्वरुप— चिकित्सा, अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, कृषि, पशु चिकित्सा विज्ञान आदि;

(ख) **"सहायता प्राप्त महाविद्यालय या संस्थान"** से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय सहित कोई व्यावसायिक शैक्षणिक महाविद्यालय या संस्थान, जो किसी ट्रस्ट (न्यास), सोसाइटी या संघ या व्यक्ति या संगठन द्वारा संचालित या प्रबंधित हो तथा जो राज्य सरकार या केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त करता हो;

(ग) **"समुचित प्राधिकार"** से अभिप्रेत है केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित केन्द्रीय या राज्य स्तरीय प्राधिकार जो व्यावसायिक शिक्षण के लिए मानदंड एवं शर्तों का निर्धारण करे ताकि व्यावसायिक शिक्षण के मापदंड को निर्धारित किया जा सके;

(ध) **"प्रतिव्यक्ति शुल्क (कैपीटेशन शुल्क)"** से अभिप्रेत है वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष राशि चाहे उसे किसी नाम से पुकारा जाए, नगद अथवा अन्य रूप में दी जाने वाली या प्राप्त की जाने वाली अथवा वसूली जाने वाली राशि जो इस नियम के द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त हो;

(ङ) **"सरकारी महाविद्यालय या संस्थान"** से अभिप्रेत है राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा संचालित एवं प्रबंधित व्यावसायिक शैक्षणिक महाविद्यालय या संस्थान;

(च) **"स्वास्थ्य विभाग"** से अभिप्रेत है स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार।

(छ) **"विहित"** से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

(ज) **"निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान"** से अभिप्रेत है वैसे व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान जो केन्द्र/राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा संचालित और प्रबंधित नहीं हो। इसमें सहायता प्राप्त एवं गैर–सहायता प्राप्त दोनों प्रकार के महाविद्यालय या संस्था शामिल है जैसा कि इस अधिनियम में परिभाषित है;

(झ) **"प्रक्रियात्मक शुल्क"** से अभिप्रेत है समिति को व्यावसायिक संस्थान द्वारा गैर वापसी योग्य अदा की जाने वाली निर्धारित शुल्क जो संस्था द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के समय प्रक्रियात्मक शुल्क के रूप में अदा की जाए;

(ञ) **"व्यावसायिक पाठ्यक्रम"** से अभिप्रेत है व्यावसायिक अध्ययन का पाठ्यक्रम जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए;

(ट) **"व्यावसायिक शिक्षण संस्थान"** से अभिप्रेत है सक्षम वैधानिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित या विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय अथवा संस्थान जो किसी अन्य नाम से पुकारा जाय, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान अथवा संचालित करती हो तथा डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट चाहे जिस नाम से हो किसी कोर्स में प्रदान करती हो;

(ठ) **"नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण समिति"** से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के धारा–4 के तहत् गठित समिति;

(ड) **"संबंधित विभाग"** से अभिप्रेत है ऐसा सरकारी विभाग जिसके अन्तर्गत संबंधित शैक्षणिक विषय या पाठ्यक्रम का प्रशासनिक रूप से संचालन किया जाता है;

(ढ) **"राज्य सरकार"** से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

(ण) **"वैधानिक प्राधिकार"** से अभिप्रेत है एक निकाय/संगठन/परिषद जो केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित हो तथा व्यावसायिक शिक्षा के लिए मानक निर्धारित करे अथवा जो किसी शैक्षणिक प्रक्षेत्र के पाठ्यक्रम को विनियमित करे। उदाहरण स्वरूप–एन०एम०सी०, ए०आई० सी०टी०ई० आदि;

(त) **"गैर–सहायता प्राप्त महाविद्यालय या संस्थान"** से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय सहित कोई व्यावसायिक शैक्षणिक महाविद्यालय या संस्थान जो किसी ट्रस्ट, सोसाइटी या संघ या व्यक्ति या संगठन द्वारा संचालित या प्रबंधित हो तथा जिसे राज्य सरकार या केन्द्र सरकार से कोई वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त नहीं होता हो;

(थ) **"विश्वविद्यालय"** से अभिप्रेत है राज्य विधानमंडल या संघ द्वारा बनाए गए किसी कानून के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय;

3. अनुप्रयोग।–

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी न्यायालय या प्राधिकार के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में या किसी करार में किसी बात के होते हुए भी. गैर–सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षणिक महाविद्यालयों या संस्थाओं में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सभी प्रवेश इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किये जाएंगे।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किया गया कोई भी प्रवेश अवैध होगा।

4. नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण समिति।–

(1) राज्य सरकार, निजी व्यावसायिक संस्थाओं में नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ एक नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण समिति का गठन करेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे–

(क)	एक प्रख्यात शिक्षाविद् या एक सेवानिवृत्त सरकारी पदाधिकारी जिन्होंने राज्य सरकार के अधीन कम–से–कम प्रधान सचिव के पद से अन्यून स्तर पर सेवा दी हो	अध्यक्ष
(ख)	चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्ति	सदस्य
(ग)	व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्ति (चिकित्सा शिक्षा को छोड़कर)	सदस्य
(घ)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार	पदेन सदस्य
(ड़)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार सरकार	पदेन सदस्य
(च)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार	पदेन सदस्य
(छ)	एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसे स्वास्थ्य विभाग द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य
(ज)	स्वास्थ्य विभाग द्वारा नामित/सहयोजित एक प्रतिष्ठित स्वतंत्र व्यक्ति	सदस्य
(झ)	स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव से अन्यून पदाधिकारी	सदस्य सचिव

(2) अध्यक्ष एवं सदस्यों (पदेन सदस्य को छोड़कर) की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंसा पर सरकार द्वारा की जायेगी।

(3) अध्यक्ष एवं सदस्यों (पदेन सदस्य को छोड़कर) का कार्यकाल प्रारम्भ में तीन वर्ष का होगा, जिसे दो वर्ष तक अथवा 75 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, विस्तारित किया जा सकेगा। समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों का मानदेय एवं अन्य शर्तें इस अधिनियम के धारा–11 के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा निर्धारित होंगे।

(4) समिति का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल किसी रिक्ति या समिति के गठन में किसी दोष के कारण अमान्य नहीं माना जाएगा।

(5) सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थाओं से संबद्ध व्यक्ति सदस्य के पात्र नहीं होगें।

(6) नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण समिति की बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष करेंगे और समिति विनियमों द्वारा अपनी प्रक्रिया स्वयं अपना सकती है, जैसा वह उचित समझे।

(7) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी पूर्व से तदर्थ आधार पर गठित एवं कार्यरत नामांकन पर्यवेक्षण समिति एवं शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति तब तक कार्य करती रहेगी जब तक की इस अधिनियम के अधीन नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण समिति का गठन नहीं हो जाता।

5. नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण समिति की शक्तियाँ।–

(1) समिति यह निगरानी करेगी कि निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाएँ समुचित प्राधिकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों एवं प्रक्रियाओं का पालन कर रही हैं।

(2) वर्त्तमान में लागू किसी अन्य कानून या न्यायालय या प्राधिकार के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश या किसी करार में निहित किसी बात के होते हुए भी नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण समिति निजी व्यावसायिक शैक्षणिक महाविद्यालय/संस्थाओं में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश के लिए शुल्क संरचना निर्धारित करेगी। विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और विभिन्न व्यावसायिक शैक्षणिक महाविद्यालयों या संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश के लिए अलग–अलग शुल्क संरचना निर्धारित की जा सकेगी।

(3) नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण समिति को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त होंगी–

(क) किसी भी निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान को संबंधित महाविद्यालय या संस्थान के लिए सत्र प्रारंभ होने के 3 माह पूर्व या जैसा समिति द्वारा निदेशित किया जाय, सभी सुसंगत दस्तावेजों और लेखा पुस्तकों तथा समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया शुल्क जमा कर प्रस्तावित शुल्क संरचना उपस्थापित करने की अपेक्षा कर सकती है।

(ख) सत्यापित कर सकती हैं कि क्या ऐसे महाविद्यालय या संस्था द्वारा प्रस्तावित शुल्क संरचना उचित है।

(ग) ऐसे महाविद्यालय या संस्था के लिए शुल्क संरचना को अनुमोदित करना या अन्य शुल्क संरचना निर्धारित करना, जो ऐसे महाविद्यालय या संस्था द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश के लिए ली जाएगी।

(4) नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क संरचना को संबंधित विभाग को संसूचित किया जाएगा, जिसके बाद संबंधित विभाग निजी व्यावसायिक शिक्षा/संस्था के अधीन चल रहे पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क संरचना को अधिसूचित करेगा।

(5) ऐसी अधिसूचना के बाद, शुल्क संरचना निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं पर तीन वर्ष की अवधि के लिए या ऐसी अनुमति देने के लिए सक्षम राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय वैधानिक निकाय द्वारा अनुमत अवधि के लिए बाध्यकारी होगी। इस प्रकार निर्धारित शुल्क उस शैक्षणिक वर्ष में किसी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था में प्रवेश लेने वाले छात्र पर लागू होगा और उस संस्था में उसके व्यावसायिक पाठ्यक्रम के पूरा होने तक संशोधित नहीं किया जाएगा।

(6) निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था को उप धारा 5(4) के अधीन संबंधित विभाग द्वारा अधिसूचित शुल्क के अलावा कोई अन्य शुल्क लेने या एकत्र करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और एक शैक्षणिक वर्ष में एक छात्र से एक बार में एक सत्र से अधिक शुल्क एकत्र करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. शुल्क निर्धारण का तरीका।–

(1) नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण समिति, निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए, किसी निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश के लिए ली जाने वाली शुल्क का निर्धारण निम्नवत् करेगी, अर्थातः–

(क) व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था का स्थान;

(ख) व्यावसायिक पाठ्यक्रम की प्रकृति;

(ग) उपलब्ध बुनियादी ढाँचा;

(घ) वेतन, प्रशासन और रख–रखाव पर व्यय;

(ङ) महाविद्यालय या संस्था की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक उचित अधिशेष;

(च) ऐसे अन्य कारक, जो समिति विनिश्चित करे; और

(छ) शुल्क निर्धारित करते समय संस्था में संचालित पाठ्यक्रमों की संख्या और प्रकार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि शुल्क का भार विभिन्न पाठ्यक्रमों के बीच समान और तर्कसंगत रूप से वितरित किया जा सके।

(2) समिति द्वारा निर्धारित की जाने वाली शुल्क में निम्नलिखित शामिल होंगे–

(क) शिक्षण शुल्क;

(ख) पुस्तकालय शुल्क;

(ग) प्रयोगशाला शुल्क;

(घ) कम्प्यूटर शुल्क;

(ङ) कॉशन राशि (एक बार);

(च) परीक्षा शुल्क;

(छ) छात्रावास शुल्क;

(ज) ऐसी अन्य शुल्क जो समिति विनिश्चित करे या राज्य सरकार द्वारा निर्देशित हो या वैधानिक प्राधिकार द्वारा अनुशंसित हो।

7. **व्यावसायिक कोर्स की प्रयोज्यता।**–राज्य सरकार नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण समिति के अंतर्गत आने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को अधिसूचित करेगी। राज्य सरकार अधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से आवश्यकतानुसार विभिन्न शैक्षणिक विषयों के किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम को नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण समिति के दायरे में जोड़ने या हटाने का अधिकार रखती है।

8. **कोई प्रतिव्यक्ति शुल्क (कैपिटेशन शुल्क) नहीं।**–किसी निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था की ओर से या ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा जो ऐसे संस्था के प्रबंधन का प्रभारी या उत्तरदायी है, किसी छात्र से या उसके संबंध में ऐसे संस्था में किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में उसके प्रवेश या उसमें बने रहने के लिए कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा या वसूल नहीं किया जाएगा।

9. **व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा उल्लंघन के मामले में संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई।**–जहाँ संबंधित विभाग, किसी शिकायत की प्राप्ति पर या अन्यथा, उचित जाँच के बाद संतुष्ट हो जाता है कि निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ने धारा 5(4) के अधीन संबंधित विभाग द्वारा अधिसूचित नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक कैपिटेशन शुल्क एकत्र किया है, तो वहः–

(क) संबंधित संस्था को समिति निर्धारित शुल्क से अधिक एकत्रित शुल्क वापस करने या इस प्रकार एकत्रित की गई कैपिटेशन शुल्क वापस करने का निर्देश दे सकेगा;

(ख) किसी विशेष पाठ्यक्रम में सीटों में कटौती/आवंटन न करने की सिफारिश सांविधिक प्राधिकार से कर सकेगा;

(ग) व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था के पक्ष में दिए गए अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एनओसी)/सहमति/वचन–पत्र/ अनिवार्यता प्रमाण–पत्र को सांविधिक प्राधिकार से वापस ले सकेगा;

(घ) ऐसे संस्था के विरूद्ध कोई अन्य उचित कार्रवाई करने के लिए सांविधिक प्राधिकार और/या संबंधित विश्वविद्यालय को सिफारिश कर सकेगा।

परन्तु संबंधित विभाग द्वारा निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जाएगा;

10. **सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।**–समिति के कोई सदस्य, पदाधिकारी या कर्मचारी को इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की गई तात्पर्यित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

11. **नियम बनाने की शक्ति।**–राज्य सरकार अधिकारिक गजट में अधिसूचना के द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए नियम बना सकेगी।

12. **निदेश देने की शक्ति।**–राज्य सरकार, समय–समय पर इस अधिनियम के उपबंधों, नियमों या उसके अधीन बनाए गए आदेशों के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ, किसी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था को या नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण समिति को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जैसा वह इस संबंध में ठीक समझे और व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था या नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण समिति ऐसे निदेश से आबद्ध होगी।

13. **अधिनियम का अभिभावी प्रभाव।**–इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य राज्य विधि में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

14. **कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति।**–यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर ऐसे उपबंध कर सकेंगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो उसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

15. **निरसन एवं व्यावृत्ति।**– राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण समिति के गठन के पश्चात स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित एवं इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व कार्यरत नामांकन पर्यवेक्षण समिति एवं शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति अस्तित्व में नहीं रहेंगी। ऐसी समाप्ति के होते हुए भी ऐसी

किसी शुल्क निर्धारण प्राधिकार/निकाय द्वारा लिया गया निर्णय इस अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई/लिया गया निर्णय समझा जायेगा।

बासनो शंकर मेहरो़त्रा,
सरकार के विशेष सचिव–सह–प्रभारी सचिव।

2 अप्रील 2026

सं० एल०जी०–01–12/2026–**2676**/लेज––बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 2 अप्रील 2026 को अनुमत **बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण) अधिनियम, 2026** (**बिहार अधिनियम** 10, 2026) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद माननीय बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बासनो शंकर मेहरो़त्रा,
सरकार के विशेष सचिव–सह–प्रभारी सचिव।

[Bihar Act 10, 2026]

THE BIHAR PRIVATE PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REGULATION OF ADMISSION AND FIXATION OF FEE) ACT, 2026

AN

ACT

to provide for the regulation of admission and fixation of fee and for matters connected therewith or incidental thereto.

PREAMBLE:- an ad-hoc Admission Monitoring Committee & Education Fee Fixation Committee has already been established to oversee compliance of Supreme Court Order for medical and technical education.

And whereas, it is necessary to enact a law to regulate the admission and the fees charged by the Private professional educational institutions in the State, ensuring that such fees are reasonable, non-exploitative and transparent, while also safeguarding the financial sustainability and autonomy of such educational institutions.

And whereas, to ensure affordability, transparency, and equity while upholding the autonomy of educational institutions, in accordance with the principles laid down by the Hon'ble Supreme Court of India in the *Islamic Academy of Education & Others vs State of Karnataka & Others (2003) 6 SCC 697* and *P.A. Inamdar & Others vs State of Maharashtra & Ors. (2005) 6 SCC 537* and other relevant judicial decisions.

And whereas, the Hon'ble Supreme Court of India has further delineated the legal framework for regulating fees in Private professional educational institutions. It is imperative to regulate the fees charged by Private professional educational institutions in the State to prevent profiteering and commercialization of education while ensuring fairness and transparency, to protect the interests of students and parents, ensuring that such fees are reasonable, non-exploitative, and transparent, while also ensuring the financial sustainability and autonomy of Private professional educational institutions;

This preamble reflects the key principles laid down by the Hon’ble Supreme Court regarding the regulation of admission and fee fixation in a manner that balances the rights of students and those of educational institutions.

Now, Therefore, be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in Seventy seventh year of Republic of India as follows:

1. ***Short Title, Extent and Commencement.—***

(a) This Act may be called the 'Bihar Private Professional Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fee) Act, 2026’.

(b) It extends to the whole of State of Bihar.

(c) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, notify.

2. ***Definitions.-*** In this Act, unless the context otherwise requires: -

(a) ***"Academic Discipline"*** means a broad academic field of study under which various courses are taught and researched at the college or university level. Example- Medical, Engineering and Technology, Computer application, Education, Agriculture, Veterinary Science etc.;

(b) ***"Aided college or institution"*** means a professional educational college or institution, including the University, run or managed by the trust, society or association or person or organization, receiving financial aid or grant-in-aid from the State Government or the Central Government;

(c) ***“Appropriate authority”*** means a Central or State authority established by the Central or the State Government for laying down norms and condition for ensuring standards of professional education;

(d) ***“Capitation Fee”*** means any amount by whatever name called whether in cash or in kind paid or collected or received directly or indirectly in addition to the fees determined under this Act;

(e) ***"Government college or institution"*** means a professional educational college or institution run and managed by the Central/State Government;

(f) ***“Health Department”*** means Health Department, Government of Bihar;

(g) ***"Prescribed"*** means prescribed by the rules made under this Act;

(h) ***"Private Professional Educational Institution"*** means a Professional Educational Institution not established or maintained by the Central government, the State government or any public body. It includes both aided and unaided college or institutions as defined in the act.

(i) ***"Processing Fee"*** means the non-refundable charge as prescribed payable to the Committee at the time of submission of proposal by the professional colleges towards processing;

(j) ***"Professional courses"*** means a course of study notified as a professional course by the State government.

(k) ***"Professional Educational Institution"*** means college or an institute, by whatever name called, imparting professional education or conducting professional education courses leading to the award of a degree, diploma or a certificate by whatever name called, approved or recognized by the competent statutory authority or affiliated to a University in any of the academic disciplines;

(l) *“**Regulation of Admission and Fixation of Fee Committee**”* means the committee constituted under section 4 of this Act;

(m) ***"Respective Department"*** means the Government department under which the concerned academic discipline or course are administratively dealt with;

(n) ***"State Government"*** means the Government of Bihar;

(o) ***"Statutory Authority"*** means a body/Organization/ Council notified by the Central Government/State government to set professional standards and/or the regulate a course or courses within an academic discipline. E.g.- NMC, AICTE etc.

(p) ***"Unaided college or institution"*** means a professional educational college or institution, including the University, run or managed by the trust, society or association or person or organization, not receiving any financial aid or grant-in-aid from the State Government or the Central Government;

(q) ***"University"*** means a University established under any law made by the Legislature of the State or the Union.

3. ***Application.—***

(1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or in any judgment, decree or order of any court or authority or in any agreement, all the admission to the professional courses in Private professional educational institutions shall be made in accordance with the provisions of this Act.

(2) Any admission made in contravention of the provisions of this Act shall be invalid.

4. ***Regulation of Admission and Fixation of Fee Committee.—***

(1) The State Government shall for the purpose of regulating the admission and fixation of fee in Private professional educational institutions constitute a Regulation of Admission and Fixation of Fee Committee consisting of the following members: -

(a)	An eminent educationist or A retired Government Officer who has served not below the rank of Principal Secretary to the State Government.	Chairperson
(b)	An expert of repute from the field of Medical Education.	Member
(c)	An expert of repute from the field of Professional Education (other than the Medical Education).	Member
(d)	Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Health Department, Government of Bihar.	Ex-officio Member
(e)	Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Department of Higher Education, Government of Bihar.	Ex-officio Member
(f)	Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Department of Science and Technology, Government of Bihar.	Ex-officio Member
(g)	A renowned Chartered Accountant nominated by the Health Department, Govt. of Bihar.	Member
(h)	An independent person of repute nominated/ co-opted by the Health Department, Government of Bihar.	Member
(i)	An officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of Bihar.	Member Secretary

(2) The Chairperson and the Members (other than the ex-officio Members) shall be appointed by the State government on the recommendation of the Selection Committee to be constituted by the State government.

(3) The term of the Chairperson and Members other than the ex-officio Members shall initially be for three years extendable up to two more years or till the attainment of 75 years of age, whichever is earlier. The renumeration and other conditions for the chairperson and the members of the Committee shall be such as prescribed by the rules made under section 11 of this Act.

(4) No act or proceedings of the committee shall be deemed to be invalid by reason merely of any vacancy or any defect in the constitution of the committee.

(5) No person who is associated with a private aided or unaided educational institution shall be eligible for being a member of the committee.

(6) The chairperson shall preside over the meeting of the Regulation of Admission and Fixation of Fee Committee and the committee may adopt its own procedure,by regulations as it may deem fit.

(7) Notwithstanding anything contained in this Act, the "Admission Monitoring Committee"and the "Educational Fee fixation committee" functioning on ad-hoc basis before the commencement of this Act, shall continue to operate till the Regulation of Admission and Fixation of Fee Committee under this Act is constituted.

5. ***Powers of the Regulation of Admission and Fixation of Fee Committee.—***

(1) The committee shall oversee that the Private professional educational institutions adhere to the norms and procedures as prescribed by the appropriate authority.

(2) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or in any judgment, decree or order of court or authority or in any agreement, the Regulation of Admission and Fixation of Fee Committee shall determine the fee structure for admission of students in the professional courses in Private Professional Educational College/Institutions. Different Fee structure may be determined for admission of students in different professional courses and for different professional educational colleges or institutions.

(3) The Regulation of Admission and Fixation of Fee Committee shall have power to-

(a) Require any Private professional educational institution to place before it the proposed Fee structure for such college or institution along with all the relevant documents and the books of accounts, along with the prescribed processing fee, as decided by the committee well in advance, at least three months before commencement of the session or as the Committee may direct.

(b) Verify whether the Fee structure proposed by the such college or institution is justified;

(c) Approve the fee structure for such college or institution or determine other fee structure which shall be charged by such college or institution for admission of students in the professional courses.

(4) The fee structure so determined by the Regulation of Admission and Fixation of Fee Committee shall be communicated to the Respective Department, whereupon the Respective Department shall notify the fee structure for the course(s) running under the Private professional education institute.

(5) The fee structure, after such notification, shall be binding on the Private professional educational institutions for a period of three years or for a period permitted by the National/State level statutory body competent to grant such permission. The fee so determined shall be applicable to a

student who is admitted to a professional educational institution in that academic year and shall not be revised till the completion of his/her professional course in that institution.

(6) The Private professional educational institution shall not be allowed to charge or collect any fee other than the fees notified by the respective department under sub-section 5 (4) and shall not be allowed to collect the fee at a time amounting to more than one term fee from a student in an academic year;

6. ***Manner of fixation of Fee(s) .—***

(1) The Regulation of Admission and Fixation of Fee Committee shall determine and fix the fee or fees to be charged by a Private professional educational institution for admission of students in the professional course, taking into consideration the following factors, namely :-

(a) The location of the professional educational institution;
(b) The nature of professional course;
(c) The available infrastructure;
(d) The expenditure on salary, administration and maintenance;
(e) The reasonable surplus required for the growth and development of the college or institution;
(f) Such other factors, as the Committee may decide and;
(g) While determining fee, special focus shall be had to the number and type of courses run in the institution so that the burden of the fee are equitably and rationally distributed among the different courses.

(2) The fees to be determined by the Committee shall include -

(a) The tuition fee;
(b) Library fee;
(c) Laboratory fee:
(d) Computer fee;
(e) Caution money (One time);
(f) Examination fee;
(g) Hostel Fee;
(h) Such other fees, as the Committee may decide or as directed by the State Government or as recommended by the Statutory Authority.

7. ***Applicability to the Professional courses.***—The State government shall notify the Professional course(s) to be covered under the purview of the Regulation of Admission and Fixation of Fee Committee. The State government may, by notification in the official Gazette, direct to add or remove any professional course(s) of different academic discipline(s) to be brought under the purview of the Regulation of Admission and Fixation of Fee Committee, as and when required.

8. ***No capitation fee.***—No capitation fee shall be charged or collected by or on behalf of a Private professional educational institution or by any person who is charge or is responsible for the management of such institution from or in relation to any student in consideration of his admission to or continuance in any professional course in such institution.

9. ***Action by the Respective Department in case of contravention by the Professional Educational Institutions.***—Where the Respective Department, on receipt of any complaint or otherwise, is satisfied after due inquiry that the Private professional

educational institution has collected the capitation fee or fees in excess of the fee determined by the Regulation of Admission and Fixation of Fee Committee as notified by the respective department under Section 5(4), it may: -

(a) direct the concerned institution to refund the fee so collected in excess of the fee determined by the Committee or refund the capitation fee so collected;

(b) recommend for reduction/non-allocation of seats in particular course to the statutory authority;

(c) withdraw no objection certificate (NOC)/consent/undertaking/ essentiality certificate granted in favor of the profession educational institute to the statutory authority;

(d) recommend to the Statutory Authority and/or, concerned University for taking any other appropriate action against such institution.

Provided that a reasonable opportunity of being heard shall be afforded to the Private Professional Educational Institute by the respective department.

10. ***Protection of action taken in good faith.***—No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any member of the committee, officer or employee of the Government for anything which is done in good faith or purported to be done in pursuance of the provisions of this Act or rules made thereunder.

11. ***Power to make rule.***—The State Government may by notification, in the *Official Gazette* make rules to carry out the purposes of this Act.

12. ***Power to give direction.***—The State Government may, from time to time, issue such directions not inconsistent with the provisions of this Act, to any professional educational institution or to the Regulation of Admission and Fixation of Fee Committee as it may think fit in this regard, for the purpose of carrying out provisions of this Act, rules or orders made thereunder and the professional educational institutions or the Regulation of Admission and Fixation of Fee Committee shall be bound by such direction.

13. ***Overriding effect.***—The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other State law for the time being in force.

14. ***Power to remove difficulties.***—If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

15. Repeal and Saving.—Both the Admission Monitoring Committee and Educational Fee Fixation Committee constituted by the Health Department and operational immediately preceding the operation of this Act shall cease to exist after the Regulation of Admission and Fee Fixation Committee under this Act is constituted by the State government. Notwithstanding such cessation any action taken or decision by any such fee fixation authority/body shall be deemed to have been taken or done under this Act.

Basno Shanker Mehrotra,
Special Secretary –cum- Secretary in charge to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 307-571+400-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in